भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3237
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निधि का आवंटन

3237. डॉ. निशि कान्त दुबे.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रदान की गई ऋण-लिंक्ड वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएस-एफपीआई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया गया है। 2019-20 से पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत वर्ष-वार कुल आवंटन और उपयोग की गई निधियाँ तथा 2020-21 से पीएमएफएमई योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों में केंद्र की हिस्सेदारी का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई,पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क, 394 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 536 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं की शुरुआत से लेकर 28.02.2025 तक सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में कुल 6198.76 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

देश में पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल 1,27,758 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है और 28 फरवरी, 2025 तक योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2704.61 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है ।

देश में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है और ₹ 1155.296 करोड़ की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है, जिसमें से 28.02.2025 तक 20 पात्र मामलों में एमएसएमई को ₹ 13.266 करोड़ वितरित किए गए हैं।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निधि का आवंटन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3237 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं में आवंटित धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का विवरण</u>

(करोड़ रुपए में)

योजना	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई
पीएमकेएसवाई	889.43	694.81	750.00	667.05	791	713.49	673.00	561.92	745	666.20
पीएलआईएसएफपीआई	2021-22 में योजना शुरू				10	9.27	801	489.83	1150	590.50

आर.ई.- संशोधित अनुमान, ए.ई.- वास्तविक व्यय

2020-21 से पीएमएफएमई योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.8167	1.9223	0.3443395	0.382
2	आंध्र प्रदेश	34.9839	25.1236019	18.5678035	46.2527129
3	अरुणाचल प्रदेश	0.1534	7.343582	0.0315	11.0937
4	असम	16.7052	15.9552504	18.1232185	43.876
5	बिहार	9.0452	13.5909	1.6100447	88.6468639
6	चंडीगढ़	0.4	1.0635333	0.4387319	0.305
7	छत्तीसगढ	7.0353	8.8811021	1.4381086	7.6869
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	0.4	0.8903333	0.1402415	0
9	दिल्ली	0.5	0.3182674	1.146245	0.495
10	गोवा	0.41	3.1397534	1.8128615	2.0803
11	गुजरात	16.5543	8.5287925	1.9823712	7.0151
12	हरियाणा	3.2294	3.9843577	5.4616785	11.2543
13	हिमाचल प्रदेश	5.1881	7.6383101	13.7492661	57.1199
14	जम्मू और कश्मीर	8.18638	1.5023337	2.1553652	2.68
15	झारखंड	2.6887	1.7394	0	9.7945
16	कर्नाटक	32.4675514	21.4756477	31.0661658	27.756
17	केरल	10.1336	3.4605699	3.9854033	29.5236
18	लद्दाख	0.45	0.933	2.3229815	0.3575
19	लक्षद्वीप	0.4	0.61	0	0
20	मध्य प्रदेश	20.6226	9.9314872	9.9754218	44.965
21	महाराष्ट्र	27.5778	26.6019307	76.8663281	120
22	मणिपुर	3.1401	9.0926476	0	0
23	मेघालय	2.693	3.0418	0.3877631	1
24	मिजोरम	7.7313	2.9383	0	0
25	नागालैंड	6.6436	5.90348	0.4087638	3.9681
26	ओडिशा	30.3655	29.9321587	2.9691806	15.458
27	पुदुचेरी	1.16	0.7919	0.6834633	2.4647192
28	पंजाब	5.7624	9.3578868	16.3136399	30.65
29	राजस्थान	14.5103	13.4363093	4.7943201	16.9836
30	सिक्किम	5.1247	1.508465	1.7535566	0.9053
31	तमिलनाडु	12.947	3.2304237	24.0154968	71.9978
32	तेलंगाना	33.1599	16.8771322	2.3078128	15.4023
33	त्रिपुरा	3.1054	10.3507875	0.1542544	1.125
34	उत्तर प्रदेश	36.2885	24.0804098	21.0627429	79.5463
35	उत्तराखंड	6.0296	2.2596526	2.4465795	8.2376
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	6.2799

अनुबंध- II

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निधि का आवंटन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3237 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ(अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी ; तथा एकल फसलोपरांत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 15 करोड़ होगी; और एकल फसलोपरांत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने

के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है, तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रा रंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) सामान्य *अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****